B-3 & 4
L-27
Polity

राज्य सभा

उच्च सदन :

- भारतीय संविधान में किसी भी सदन को उच्च या निम्न सदन नहीं कहा गया है।
- लेकिन ब्रिटेन की परम्परा के आधार पर समूचे विश्व में संसद की सदन को निम्न और उच्च सदन कहा गया है।
- ब्रिटेन में लार्ड सभा (House of Lord) को उच्च सदन का नाम दिया गया है जहाँ शिक्षित संपत्तिशाली व्यक्तियों को लार्ड सभा का सदस्य बनाया गया जो एक गैर-निर्वाचित संस्था थी।
- इंग्लैण्ड के लार्ड सभा से प्रभावित होते हुए लोकप्रिय रूप में राज्य सभा को उच्च सदन कहा जाता है यह वरिष्ठों का सदन है इसलिए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है।
- राज्य सभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अग्रणी योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में शामिल किया जा सके।

राज्यसभा

कार्यकाल

(i) स्थायी सदन

(ii) सदस्य का कार्यकाल - 6 वर्ष

(iii) प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे।

↓

कुल सीट - 245

4th अनुसूची

जनसंख्या के अनुपात में

50 लाख - 5 सीट

प्रत्येक दस लाख जनसंख्या पर एक सीट

निर्वाचन

(i) अप्रत्यक्ष / परोक्ष

(ii) विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

स्थायी सदन के रूप में राज्यसभा

- राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। क्योंकि इनका निर्वाचन आम जनता के बजाय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

- राज्यसभा वरिष्ठों तथा विशेषज्ञों का सदन है इसीलिए इसकी संख्या कम रखी गई है ताकि विचार विमर्श का ज्यादा समय सदन में मिले और किसी भी एक दल का बहुमत प्रभावी रूप में स्थापित न हो सके।
- स्थायी सदन होने के कारण कभी भी किसी मंत्री को राज्यसभा से हटाया जा सकता है या राज्यसभा की सदस्यता दिलायी जा सकती है क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन के लिए कम से कम 6 महीने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बाद यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन राज्य सभा कर सकती है।

निर्वाचन

(i) आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय पद्धति

(ii) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951

कोटा

$$\frac{\text{कुल वैध मत का}}{\text{निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या} + 1} + 1$$

$$\frac{\text{कुल वैध मत} \times 100}{\text{निर्वाचित सदस्यों की संख्या} + 1} + 1$$

लेने :- हरियाणा -

BJP - 48

कांग्रेस - 37

$= \frac{90 \times 100}{3+1} + 1$

$= \frac{9000}{4} + 1$

$= 2251$

अनुपातिक चुनाव प्रणाली का मतदान

मतदान

A. 1, 3

B. 2, 1

C 3, 2

Ex = दिल्ली 70 = 7000

$= \frac{70 \times 100}{3+1} + 1$

1751×3

$= 5253$

(A) 3400 (1)

(B) 1650 (X)

C 1950

द्वितीय तरीयता

(i) प्रथम तरीयता के सबसे कम मत वाले सदस्य को हटाया जायेगा।

(ii) (B) → (A), (C)

(A) 3400 + 1600

(C) 1950 + 50

नोट :- हरियाणा -

BJP - 48

कांग्रेस - 37

$= \frac{90 \times 100}{3+1} + 1$

$= \frac{9000}{4} + 1$

$= 2251$

अनुपातिक चुनाव प्रणाली का मतदान

मतदान

A. 1, 3

B. 2, 1

C 3, 2

Ex = दिल्ली 70 = 7000

$= \frac{70 \times 100}{3+1} + 1$

1751 × 3

= 5253

(A) 3400 (1)

(B) 1650 (X)

C 1950

द्वितीय तरीकता

(i) प्रथम तरीकता के सबसे कम मत वाले सदस्य को हटाया जायेगा।

(ii) (B) → (A), (C)

(A) 3400 + 1600

(C) 1950 + 50

संसद के द्वारा विधि का निर्माण

- संसद भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। और संसद के द्वारा निर्मित विधि में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका समान होती है।
- विधि निर्माण के दौरान होने वाली परिचर्चा का अत्यधिक महत्व है जिससे विधि निर्माण के लिए आम जनता की इच्छा को जाना जाता है।
- लोकसभा के 543 और राज्य सभा के 245 सांसदों के होने के कारण संसद के पास विधि निर्माण के लिए समय कम होता है।
- सांसदों में विशेषज्ञता की भी कमी होती है तथा दलीय विभाजन भी विद्यमान होता है इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए विधि निर्माण में संसदीय समितियों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैसा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

संसद

- **प्रथम वाचन**
  - (i) प्रस्तुतीकरण
    - लोकसभा
    - राज्य सभा
    - निर्मला सीतारमण → सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा
    - राहुल गांधी → निजी विधेयक सांसद द्वारा
      - 14
      - विधेयक पारित
- **द्वितीय वाचन**
  - समिति
  - रिपोर्ट
  - चर्चा
- **तृतीय वाचन**
  - पारित

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR